सार-समाचार

नगर निगम जोधपुर दक्षिण हापौर दक्षिण वनीता सेठ ने नगर निगम कार्यालय का औचक निरिक्षण किया

जोधपुर (कासं)। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही नगर निगम की कार्य प्रणाली को पटरी पर लाने के उद्देश्य से महापौर दक्षिण वनीता सेठ ने नगर निगम कार्यालय का औचक निरिक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी टेबल पर टांगे रखकर बैठे नजर आए। कर्मचारियों के कमरे में गई मेयर की उनको भनक नहीं लगी, वे मोबाइल चलाते हुए ही नजर आए। कई कर्मचारी तो सीट पर ही नहीं मिले। इस पर महापौर ने नाराजगी जाहिर की। महापौर निगम के विभिन्न अनुभागों में निरीक्षण करने पहुंची तो कई कम्प्यूटर ऑपरेटर टेबल पर टांग रखकर रिलेक्स मूड में बैठे हुए नजर आए। इस पर महापौर भड़क गई। इधर, एक अन्य सेक्शन में पहुंची महापौर के सामने ही कई महिला कर्मचारी मोबाइल पर गाने सुनती और सोशल मीडिया देखती हुई नजर आईं। इधर, निरीक्षण करने की सूचना मिलने के साथ ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और सभी आनन-फानन में अपनी-अपनी सीट पर पहुंचने लगे। महापौर ने अधिकारियों को हिदायत दी कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी को समय पर कार्यालय आने और अपनी सीट पर उपस्थित रहकर अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा करने के लिए पाबंद किया जाए। महापौर ने कहा कि भविष्य में अपनी सीट पर अनुपस्थित मिलने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बदमाशों ने कार में लगाई आग

घर के आगे खड़ी थी कार, पूरा घटना CCTV में हुए कैद

जोधपुर (कासं)। जोधपुर शहर में इन दिनों बदमाशों का आतंक काफी बढ़ता जा रहा है। बीती रात को बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने घर के आगे खड़ी कार में आग लगाकर भाग गए। घटना भगत की कोठी थाना क्षेत्र की है। कार में आग की लपते उठने के बाद घर के लोगों को जानकारी मिली। जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया। बदमाशों द्वारा कार में लगाई गई आग का पूरा वीडियो घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है बदमाशों ने पहले पेट्रोल की थैली को कार फेंका और फिर आग लगा दी। भगत की कोठी थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ताज हरि होटल के पास महाराज हरिसिंह नगर में रात को करीब 1 बजे एक कार में बदमाशों द्वारा आग लगाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। कार के मालिक अभिमन्यु सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह ने बताया कि सभी लोग घर में ही सो रहे थे। अचानक के आग की लपटों के उठने और धुएँ से सभी लोगों की नींद खुल गई थी। आग लगने से पूरी कार जलकर राख हो गई। पीड़ित ने इस संबंध में थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।

हाईकोर्ट प्रशासन का बड़ा कदम, 3 जिला जज ट्रांसफर, 55 अन्य न्यायिक अधिकारी भी बदले गए

जोधपुर (कासं)। हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला जज स्तर के सात अधिकारियों सहित 58 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है। इधर, विधि विभाग ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश से जिला जज संवर्ग में एडहॉक आधार पर पदोन्नत 49 न्यायिक अधिकारियों को सेवा विस्तार व वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश स्तर के 28 अधिकारियों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पद पर पदोन्नत किया है। राघवेंद्र कछवाल को जिला सत्र न्यायाधीश राजसमंद, मंछाराम सुथार को बालोतरा व सुनील कुमार पंचोली को डूंगरपुर कलगाया है। एडहॉक आधार पर जिला जज संवर्ग में पदोन्नत 25 अधिकारियों का पदस्थापन किया गया है। गुंजल गोयल को जयपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पूनाराम को जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र में सीएमएम, प्रियंका पारीक को जयपुर महानगर-प्रथम क्षेत्र में सीएमएम, अर्चना गुप्ता को जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र में एसीएमएम (आर्थिक अपराध), चेतन कुमार गोयल को जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र स्थित विशेष न्यायालय (जेडीए) में एसीएमएम- प्रथम व नारायण प्रसाद को जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र में एसीएमएम (रेलवे) पद पर लगाया है।

दो टैंकर भिड़े, तेल का रिसाव

जोधपुर (कासं)। नागौर हाइवे पर नेतड़ा टोल नाका पर गुरुवार देर रात मीठे तेल से भरे दो टैंकरों में भिड़ंत हो गई। एक टैंकर से तेल का रिसाव होने लग गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। करवड़ थाना पुलिस ने बताया कि मीठे तेल से भरे दो टैंकर नागौर की तरफ जा रहे थे। नेतड़ा टोल नाका पर आगे चल रहे एक टैंकर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे आ रहा दूसरा टैंकर आगे वाले टैंकर के पीछे जा घुसा। जिससे दोनों टैंकर क्षतिग्रस्त हो गए। एक टैंकर से तेल का रिसाव होने लग गया। एकबारगी टैंकर में कैमिकल होने का अंदेशा होने से हड़कम्प मच गया। हेड कांस्टेबल सुखराम मौके पर पहुंचे। ऐहतियात के तौर पर मण्डोर से अग्निशमन वाहन बुलाया गया। बाद में जांच करने पर टैंकर में मीठा तेल होने का पता लगा। तब सभी ने राहत की सांस ली। पुलिस ने टैंकरों को हटाकर यातायात सुचारू कराया।

उत्तर मध्य रेलवे को मिला राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 का प्रथम पुरस्कार

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से पुरस्कृत हुए महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे

प्रयागराज (एजेंसी)। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में राष्ट्र की प्रगति व विकास हेतु ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना उत्तर मध्य रेलवे के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। ऊर्जा की उपलब्धता, ऊर्जा की मांग के सापेक्ष अपव्यय को नियंत्रित कर, ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देकर सुनिश्चित की जा सकती है।

उत्तर मध्य रेलवे द्वारा विभिन्न ऊर्जा दक्ष तकनीकी उपायों प्रयासों द्वारा कुल 17 क्षेत्रीय रेलवे की प्रतिस्पर्धा में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर अन्य निकायों के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह पुरस्कार दिनांक 14.12.2023 को नई दिल्ली में आयोजित ऊर्जा संरक्षण दिवस के समारोह में राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सतीश कुमार

महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे तथा अनूप कुमार अग्रवाल प्रमुख मुख्य बिजली इंजीनियर उत्तर मध्य रेलवे द्वारा ग्रहण किया गया।

उत्तर मध्य रेलवे ने ट्रांस्पोर्ट सेक्टर के क्षेत्रीय रेल श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर स्वयं को भारतीय रेल के अग्रिम पायदान में स्थापित कर दिया है। जिसमें उत्तर मध्य रेलवे द्वारा 11.13 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, सभी 338 रेलवे स्टेशनों, सभी 265 रेलवे सर्विस बिल्डिंग एवम सभी रेल आवासों में शत प्रतिशत ऊर्जा दक्ष एलईडी ट्यूबलाइट, पंखे व स्टार रेटिंग के एयर कंडीशनर लगाए गए। इससे वर्ष 2022-23 में 12.521 मिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत व रेलवे राजस्व में 5.17 करोड़ रुपये की बचत हुई । सोलर पावर प्लांट द्वारा सस्ती एवम पर्यावरण अनुकूल बिजली खरीदने एवम पूरे उत्तर मध्य रेलवे मं 3222 रूट किलोमीटर में शत प्रतिशत पर विद्युतीकरण करने से डीजल की खपत में एवं समय में 95 प्रतिशत की कमी आई जिससे रेल राजस्व की बचत हुई ।

इसके अतिरिक्त 3 फेज एसी लोकोमोटिव के द्वारा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के माध्यम से 138.4 करोड़ यूनिट बिजली की बचत हुई जिससे रेल राजस्व में 900 करोड़ रुपए की बचत हुई है इसके अतिरिक्त कोच लाइटिंग में ।ह्रत के द्वारा बिजली प्रदान करने से पावर कार की डीजल खपत में वर्ष 2022-23 में 3645 किलो लीटर की कमी आई है जिससे रेल राजस्व में 32.80 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

इस अवसर पर महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे द्वारा सभी विद्युत विभाग की टीम को उनके सराहनीय योगदान हेतु बधाई दी गई7 इसको सफल बनाने में प्रमुख मुख्य बिजली इंजीनियर अनूप कुमार अग्रवाल के निर्देशन में, मुख्य बिजली इंजीनियर/ऊर्जा प्रबंधन के. एम. सिंह एवं उनकी टीम का विशेष योगदान रहा

आई.सी.एम. आर. राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

जोधपुर (कासं)। आई.सी.एम. आर. राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में आज हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर सी.एस.आई.आर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान विज्ञान संस्थान, गोआ के उपनिदेशक (राजभाषा) डॉ. राकेश शर्मा ने अपने प्रस्तुतिकरण में चैट जी.पी.टी., गुगल बाट, माइक्रोसॉफ्ट आदि के माध्यम से हिन्दी का कार्य करना, हिन्दी फॉन्ट्स की जानकारी, हिन्दी में वोईस टाइपिंग, वोइस टाइपिंग के मैटर को ईमेल करना, वर्ड फाइल बनाना या उस मैटर का अनुवाद करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अशुद्धिकरण ठीक करने के सॉफ्टवेयर आदि की प्रायोगिक जानकारी दी। इसके बाद प्रतिभागियों की शंकाओं का भी निवरण किया गया।

इस कार्यशाला में भाकृअनुप केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर द्वारा संचालित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास-2), जोधपुर के सदस्य सचिव एवं उपनिदेशक (राजभाषा) नवीन यादव ने नराकास के सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों को इस कार्यशाला के ऑनलाइन लिंक से जोड़ा ताकि वे राजभाषा के क्षेत्र में नवीन तकनीक के उपयोग की जानकारी का लाभ उठा सके।

नवीन यादव, उपनिदेशक (राजभाषा), काजरी ने हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन के महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार दवारा लागू किए गए नियम एवं प्रावधानों की जानकारी दी। संस्थान की अनुवाद अधिकारी डॉ. कंचन बाला ने निदेशक अतिथि नराकास सचिव, नराकास सदस्य कार्यालयों एवं संस्थान से उपस्थित जनों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

भूमि पूजन के साथ ही मंदिर जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ

बेगू (प्रातःकाल संवाददाता)। भूमि पूजन एवम खाद मुहूर्त के साथ ही मंदिर जिणोद्वार प्रारंभ हुआ। बेगू मूति पूजक संघ के पूर्व विजय नागोरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बेगू नगर पालिका क्षेत्र के किले में स्थित जैन समाज के भगवान महावीर स्वामी के मंदिर जीर्णोद्धार भूमि पूजन एवं खाद मुहूर्त के साथ प्रारंभ हुआ।

कार्यक्रम प्रारंभ हुआ विधि कर के हर्षद जैन इंदौर द्वारा विधि विधान के साथ पूजन प्रारंभ की गई। संगीत में धुन के साथ स्नात्र पूजन पाटला पूजन एवं खनन चढ़ावे की बोलियां बोली गई। कार्यक्रम में बलियो के चढ़ावे पुखराज अनिल संजय नागोरी परिवार एवं चंद्र कुमार नवीन कुमार चोरड़िया परिवार द्वारा लिया गया।

इस मंदिर निर्माण कार्य परम पूज्य गनिवर्य आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहब अक्षत रत्न सागर जी महाराज की निश्रा में मंदिर का निर्माण कार्य पिंडवाड़ा निवासी प्रभु राम शिल्पकार द्वारा किया जाएगा।

अशांत व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता-मृदुल कृष्ण

जयपुर (कासं)। टोंक रोड, बीलवा, मानपुर नांगल्या स्थित श्रीराधासरल बिहारी मंदिर में चल रहे श्रीमद भागवत कथा ज्ञानयज्ञ के अंतिम दिन शुक्रवार को भागवत कथा में फूल होली महोत्सव विशेष धूमधाम से मनाय गया। इस मौके पर परम श्रद्धेय आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण जी महाराज ने होली खेल रहे बांके बिहारी... बांके बिहारी को देख छटा मेरे मन है गयो लटा-पटा... आदि भजनों को बड़े ही भाव के साथ गुनगुनाया गया,जिसमें आयोजक सरला गुप्ता,रजनीश गुप्ता व दीपिका गुप्ता सहित हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचे,इस दौरान कार्यक्रम स्थल राधा कृष्ण के रंग में और भक्ति और आस्था के रंग में डूबे नजर आया। इससे पूर्व सुबह शपथ ग्रहण से पूर्व राजस्थान के नवनिर्वावित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परम श्रद्धेय आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण जी महाराज से आषीर्वाद लिया। इस अवसर पर भागवत कथा में परम श्रद्धेय आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण जी महाराज ने कहा कि जीवन में कितना भी धन ऐष्वर्य की सम्पन्नता हो लेकिन यदि मन में शान्ति नहीं है तो वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। वहीं जिसके पास धन की कमी भले ही हों सुख सुविधाओं की कमी हो परन्तु उसका मन यदि शान्त है तो वह व्यक्ति वास्तव में परम सुखी है। यह हमेशा मानसिक असंतुलन से दूर रहेगा। कथा प्रसंग मे परम भक्त सुदामा चरित्र पर प्रकाश डालते हुए परम श्रद्धेय आचार्य मृदुल कृष्ण महाराज ने कहा कि श्रीसुदामा जी के जीवन में धन की कमी थी, निर्धनता थी लेकिन वह स्वयं शान्त ही नहीं परम शान्त थे,इसलिए सुदामा जी हमेशा सुखी जीवन जी रहे थे,क्योंकि उनके पास प्रभुनाम रूपी धन था।

Rajasthan State Road Development And Construction Corporation Ltd., JAIPUR.
NIT/2023-24/23413-23 ई-निविदा सूचना संख्या 593/2023-24 **Date 15.12.2023**
निम्नलिखित कार्यो के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों एवं उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत एवं अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु.)
Construction of Boundary and other Misc. Electric work for Substation at Medical College, Sirohi. **UBN : RRC2324WSOB01206**	55.00 Lakh
Construction of approach Road and Outer Development work at Court Complex Building, Nohar. **UBN : RRC2324WSOB01209**	83.07 Lakh

निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र में निविदा शुल्क, धरोहर राशि, डाउनलोड करने व खोलने की तारीख सहित सम्पूर्ण विवरण एवं संशोधन वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.nic.in तथा http://roads.rajasthan.gov.in/rsrdc पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। महाप्रबंधक

MDM में स्टेंट असिस्टेड कॉइलिंग का पहला सफल ऑपरेशन

जोधपुर (कासं)। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में दिमाग से जुड़ी बीमारी स्टेंट अस्सिटेड कॉइलिंग का पहला ऑपरेशन किया। अस्पताल की न्यूरो सर्जरी टीम के साथ जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर भी मौजूद रहे। करीब 4 घंटे चले ऑपरेशन में डॉक्टर ने पैर की धमनी फीरोमल आर्टरी से दिमाग की धमनी तक पहुंच कर स्टेंट लगाया। एमडीएम अस्पताल में स्टेंट अस्सिटेड कॉइलिंग का यह पहला ऑपरेशन सफल रहा। एमडीएम अस्पताल की न्यूरो इंटरवेंशन लैब में यह ऑपरेशन इंडो वैस्कुलर तकनीक से हुआ।इसमें इंटरनल केरॉटिड आर्टरी के कैवरनस सेगमेंट के स्यूडो एन्यूरिज्म का स्टैंट की कॉइलिंग से सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया ।

न्यूरोसर्जरी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शरद थानवी ने बताया कि 65 वर्षीय महिला तेज सर दर्द एवं बाई आंख के पीछे दर्द की शिकायत के साथ न्यूरोसर्जरी विभाग में भर्ती हुई जिसकी संपूर्ण जांच सीटी ब्रेन एवं सीटी एंजियोग्राफी में लेफ्ट केवर्नस साइनस में एन्यूरिज्म पाया गया जिसकी विस्तृत जांच के लिए न्यूरो इंटरवेंशन लैब में डीएसऐ किया गया जिसमें लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के कैवर्नस सेगमेंट में स्यूडो एंयूरिस्म का पता चला जो की धमनी की दीवार के कमजोर होने की वजह से होता है। यह एंयूरिस्म आकार में बड़ा (जायंट एन्यूरिज्म) और वाइड नेक पाया गया जिसके लिए स्टेन्ट असिस्टेड कॉइलिंग का ऑपरेशन करना तय किया गया। 4 घंटे चले ऑपरेशन में मरीज की पैर की धमनी फीमोरल आर्टरी से दिमाग की धमनी तक पहुंचकर पहले स्टेन्ट लगाया गया जिससे ब्लड के फ्लो को कंटिन्यू कर एन्यूरिज्म को कॉइलिंग से फिल किया गया। ऑपरेशन पश्चात मरीज पूर्णता स्वस्थ है।

बच्चों ने मां से मिलने से इनकार किया, कोर्ट बोला- जिसने जन्म दिया, उससे नहीं मिलना चाहते तो इन्हें काउंसिलिंग की जरूरत

जोधपुर (कासं)। पिता की कस्टडी में रह रहे दो नाबालिग बच्चों ने राजस्थान हाई कोर्ट में कहा कि वे अपनी मां से नहीं मिलना चाहते। इस पर जज ने कहा- जिस मां ने जन्म दिया, अगर बच्चे उससे नहीं मिलना चाहते तो शक है कि उन्हें सिखा-पढ़ाकर लाया गया होगा। इन बच्चों को काउंसिलिंग की जरूरत है। हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा की सिंगल बेंच ने फैसला देते हुए कहा- प्रकृति ने मां को यह शक्ति दी है कि वह बच्चे को जन्म दे सके, लेकिन मां उन्हीं बच्चों से नहीं मिल पा रही है। काउंसिलिंग से पता चलेगा कि बच्चों पर ऐसा क्या प्रेशर है, जिसके कारण वे मां से नहीं मिलना चाहते। वहीं पिता पर केस को लंबा खींचने पर 2 लाख का हर्जाना भी लगा है। कोर्ट ने कहा- सामान्यत: बच्चे जिसकी कस्टडी में होते हैं, उसके पक्ष में बयान देते हैं। ऐसे में बच्चों की इच्छा पर फैसला लेना उनके हित में नहीं होगा। जोधपुर हाईकोर्ट की कोर्ट संख्या 1 में महिला ने पति के खिलाफ अक्टूबर 2021 में याचिका लगाकर बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर की थी।

यह है मामला: जोधपुर के उदय मंदिर थाना निवासी एक विवाहिता ने फैमिली कोर्ट में अपने पति के खिलाफ अक्टूबर 2021 में याचिका लगाई थी। याचिका में उसने अपने दो नाबालिग बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। बच्चे पिता की कस्टडी में हैं। फैमिली कोर्ट ने मई 2023 में पति को आदेश दिया कि दोनों बच्चों को कोर्ट में पेश करें। इस आदेश को पति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अगस्त 2023 को आदेश दिया कि बच्चों को हर सप्ताह शुक्रवार को मेडिटेशन सेंटर में उनकी मां से मिलवाया जाए। इसके बाद नवंबर में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि बच्चों को उनकी मां से मिलवाने के लिए हर दूसरे दिन 1 घंटे के लिए भेजा जाए। 23 नवंबर को बच्चों के पिता ने कोर्ट से कहा कि बच्चे खुद अपनी मां से नहीं मिलना चाहते। ऐसे में उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। महिला के वकील सलमान आगा ने यह तर्क दिया कि मां को अपने बच्चों से मिलने का अधिकार है। बच्चों को मां से न मिलने देना बच्चों के हित में नहीं है। इस पर 8 दिसंबर 2023 को दोनों बच्चों को कोर्ट में बुलाया गया। उनकी इच्छा के बारे में पूछा तो दोनों बच्चों ने मां से मिलने से साफ मना कर दिया। जज ने आशंका जताई कि बच्चों को सिखाया-पढ़ाया गया है, यही कारण है कि वे जन्म देने वाली मां से मिलने से इनकार कर रहे हैं। हाईकोर्ट के जज ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि बच्चों ने मां से मिलने से इनकार किया है तो उनकी काउंसिलिंग की जाए।

Piramal Capital & Housing Finance

पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर -601, 6वीं मंज़िल, पिरामल अमिती बिल्डिंग, पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070
CIN: L65910MH1984PLC032639, Webside:www.piramalfinance.com
शाखा कार्यालय: धीरज बाग, बिल्डिंग 'ए' ग्राउंड और पहली मंज़िल, एक्सिस बैंक के बगल में, सामने। मोनालिसा बिल्डिंग, आगरा रोड, हरि निवास सर्कल, नौपाड़ा, ठाणे (पश्चिम) - 400 602

मांग सूचना

सिक्युरिटायझेशन एण्ड सिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शिअल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ?क्ट 2002 के साथ पढ़े सिक्युरिटी इंटरेस्ट (इन्फोर्समेंट) नियम 2002 की धारा 3 (1) के अनुसार. निम्न हस्ताक्षरकर्ता जो पिरामल कॅपिटल एण्ड हौसिंग फायनान्स लिमिटेड (इस से पहले दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी है, सिक्युरिटायझेशन एण्ड सिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शिअल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (कायदा). सिक्युरिटी इंटरेस्ट (इन्फोर्समेंट) नियम 2002 की धारा 13 (12) के साथ पढ़े नियम 3 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी ने इस विधि की धारा 13(2) के अनुसार मांग सूचना निर्गमित कर निम्नलिखित कर्जदार (सदरील कर्जदार) को निर्गमित कर त्यांना निर्गमित की सूचना में उल्लेखित रकम जिस का ब्यौरा निम्नलिखित के अनुसार दिया गया है, अदा करने का आवाहन किया था। उपरिनिर्देशित के अनुसार इस के द्वारा फिर एक बार सदरील कर्जदार को सूचित किया जाता है की वह पीसीएचएफएल को, यह सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों में निम्नलिखित रकम और उस के साथ उस रकम पर आगे का ब्याज जिस का ब्यौरा सूचना में दिया गया है, निम्नलिखित के अनुसार तारीख से सम्पूर्ण रकम अदा होने की तिथि तक जो कर्ज समझौते के अनुसार और अन्य प्रपत्रों के अनुसार को सदरील कर्जदार ने निष्पादित की है के अनुसार अदा करें। ऊपर निर्देशित कर्ज की अदायगी के लिए निम्नलिखित परिसंपत्ति पीसीएचएफएल के पास कर्जदार कर्जदार ने गिरवी रखी है।

उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना एनपीए तिथि के साथ तिथि और राशि	संपत्ति का पता
(एलसी क्रमांक एम0055241 ऑफ जयपुर - एमआई रोड शाखा) दीपक गुप्ता (कर्जदार / शिशाखा गुप्ता (सह कर्जदार)	08/11/2023 /- रु. 4,81,564 (रुपये चार लाख इक्यासी हजार पाँच सौ चौसठ मात्र) एनपीए (03/06/2023)	प्लाट क्रमांक 7, श्री विजय वाटिका ग्राम सीवर, माचवा रोड, जयपुर राजस्थान 302006
(एलसी क्रमांक बीएलएस0000बी00ए ऑफ झालावाड़ शाखा) कुलदीप सिंह (कर्जदार) हेमंत सिंह (सह कर्जदार)	08/11 /2023/ रु. 952040 (रुपये नौ लाख बावन हजार चालीस मात्र) एनपीए (03/09/2023)	पहा क्रमांक जेडब्ल्यूआर 69687 गांव गोविंदपुरा जी.पी. कृष्णपुरा पी. एस. बकानी जिला झालावाड़ (राज.) बकानी 326023

अगर कर्जदार पीसीएचफेल को देय राशि का भुगतान ऊपर निर्देशित के अनुसार नहीं करते है तो, पीसीएचएफएल ऊपर निर्देशित परिसंपत्ति के खिलाफ विधि की धारा 13(4) के अनुसार तथा प्रावधान और नियमों के अनुसार कार्यवाही करेगा और जिस के खर्च का भुगतान कर्जदार को करना होगा। विधि के अनुसार कर्जदार को इस परिसंपत्ति हां बिक्री, लीज या किसी अन्य माध्यम से पीसीएचएफएल के लिखित पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरण करना मना है। जो कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा वह व्यक्ति कारावास/जुरमाना जो विधि में उल्लेखित है, के लिए पात्र होगा।

दिनांक : 16 दिसम्बर, 2023
स्थान : राजस्थान
हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी)
पिरामल केपिटल एन्ड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड

ICICI Home Finance

कॉरपोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी - कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059, भारत
शाखा कार्यालय: पहली मंजिल, 294, मेहर प्लाजा, प्लॉट नंबर 1,2,15 और 16, वीर दुर्गादास नगर, पाली, राजस्थान-306401

(नियम 8(6) के प्रावधान देखें)

अचल मालमत्ता के बिक्री के लिए सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पढ़ी जाती है।
इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्ज़ा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को यहां दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार, 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा;

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतदार कानूनी उत्तराधिकारी का नाम कर्ज खाता क्रमांक	सुरक्षित परिसंपत्ति (संपत्तियों) का विवरण जिसमें ज्ञात संपत्ति हो, कोई हो।	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	रमेश चंद गुलेछा (उधारकर्ता) मंजू देवी गुलेछा (सह-उधारकर्ता) रमेश चंद गुलेछा हफ (सह-उधारकर्ता) शुभम गुलेछा (सह-उधारकर्ता) मंजू देवी गुलेछा (गारंटर) ऋण खाता संख्या LHPLI00001260498 और NHPLI00001249884 और LHPLI00001249888	मकान नंबर- 55, पहा क्रमांक 1- 14/1961, पहा क्रमांक 2- 155/1961, पहा क्रमांक 3-542/1968, पहा क्रमांक 4-246/1969, पहा क्रमांक 5- 157/73, आदर्श नगर, अंबेडकर सर्कल के पास पाली, जिला पाली मारवाड़ राजस्थान 306401	रु. 8,58,78,643/- 07 दिसंबर 2023	रु. 4,90,85,220/- / रु. 49,08,530/-	21 दिसंबर 2023 11:00 पूर्वाह्न 03:00 अपराह्न	03 जनवरी 2024 02:00 अपराह्न- 03:00 अपराह्न

ऑनलाइन निलामी हमारी निलामी एजन्सी **ग्लोब टेक (यूआरएल लिंक https://BestAuctionDeal.com)** के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। गिरवी रखने वाले/सूचना कुल थकबाकी रकम का **02 जनवरी 2024** को **शाम 05.00** तक आगे के ब्याज के साथ प्रदान करने के लिए सूचना दी जाएगी अन्यथा, सदर प्रतिभूत मालमत्ता की अनुसूची अनुसार बिक्री की जाएगी।
प्रस्तावित बोलीदार सदर बयाना राशी जमा के साथ (रकाना क. ई) में संदर्भित) मुहरबंद लिफाफा में सुपरस्क्राईब्ड मालमत्ता के खरीद के लिए प्रस्ताव उनके प्रस्ताव **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, 294, मेहर प्लाजा, प्लॉट नंबर 1,2,15 और 16, वीर दुर्गादास नगर पाली, राजस्थान- 306401** तहत **दि. 02 जनवरी 2024** को **शाम 04.00** तक भेजे एवं पेश करें। कृपया प्रस्तावित बोलीदार उपरी निर्देशित समय के अनुसार उनके प्रस्ताव निविदा दस्तावेज के हस्ताक्षरित प्रति **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, 294, मेहर प्लाजा, प्लॉट नंबर 1,2,15 और 16, वीर दुर्गादास नगर पाली, राजस्थान- 306401** तहत **दि. 02 जनवरी 2024** को **शाम. 5.00 बजे** के पहले पेश करें। बयाना रकम जमा ड्राफ्ट (डीडी) राष्ट्रीयकृत/शेड्युल्ड बैंक से योग्य निलामी आयोजन **आईसीआईसीआई होम फायनान्स कंपनी लि.** - निलामी के नाम से **पाली** तहत पेश करें।
जांच के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, निलामी के नियम एवं शर्ते एवं निविदा को पेश करने के लिए कृपया **आईसीआईसीआई होम फायनान्स कंपनी लिमिटेड** के मो. क. 022-69974300 पर या हमारे **सेल्स एंड मार्केटिंग पार्टनर नेक्ससेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड** पर सम्पर्क करें।
प्राधिकृत अधिकारी के पास कोई भी कारण न देकर सर्व बोली रद्द करने का अधिकार आरक्षित हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के वेबसाइट **https://www.icicihfc.com/** से सम्पर्क करें।

दिनांक : 16 दिसंबर 2023
स्थान : पाली
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फायनान्स कंपनी लिमिटेड